संख्या -385/XXVII(1)/2014

प्रेषक–

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 19 मार्च, 2014

विषय– प्रदेश के कोषागारों में ई–पेमेन्ट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त के कम में शासनादेश संख्या–3/XXVII(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी, 2013 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से कोषागारों द्वारा शासकीय भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–191/XXVII(1)/2014, दिनांक 28 फरवरी, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु समस्त आहरण–वितरण अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये है कि उन्हें आवंटित बजट के सापेक्ष समस्त देयकों को प्रत्येक दशा में दिनांक 20.03.2014 तक कोषागारों/उपकोषागारों से पारित कराना सुनिश्चित कर ले। ई–पेमेन्ट की इस व्यवस्था के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर, कोषागार स्तर पर एवं राजकीय व्यवसाय किए जाने वाली बैंक की शाखाओं के स्तर पर कई प्रक्रियात्मक परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप ई–पेमेन्ट में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि –

1. सभी प्रशासकीय विभाग एवं बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों को 22 मार्च, 2014 तक आवश्यक रूप से निर्गत कर दिया जाए तथा उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वित्तीय स्वीकृतियां एवं उसके सापेक्ष आवंटन कार्यस्थल (आहरण एवं वितरण अधिकारी) तक विलम्बतम् 25 मार्च, 2014 तक अवश्य पहुंच जाए।

2. सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त बिल कम्प्यूटर से जनरेट कर विलम्बतम् 27 मार्च, 2014 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिए जाए जिससे की प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चैकिंग के बाद कोषागारों द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई–पेमेन्ट के माध्यम से दिनांक 31 मार्च 2014 तक भुगतान हेतु अथराइजेशन किया जा सके क्योंकि दिनांक 31मार्च, 2014 तक पारित बिलों का भुगतान ई–पेमेन्ट द्वारा 31 मार्च, 2014 की रात्रि 8.00 बजे तक ही हो पाएगा।

3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्षों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के आभाव में किसी धनराशि के व्यपगत हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-385/XXVII(1)/2014 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, देहरादून।

आज्ञा से

(एल०एम०पन्त)
अपर सचिव, वित्त